उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 11 | 1-15 जून 2023 | ₹ 20/-

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरकार को धमकी

- दारूल उलूम देवबंद में अंग्रेजी की शिक्षा पर प्रतिबंध
- अफगानिस्तान में नमाज-ए-जनाजा के दौरान धमाका
- ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं
- अहमदनगर का नाम बदलने की घोषणा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरकार को धमकी 04
दारूल उलूम देवबंद में अंग्रेजी की शिक्षा पर प्रतिबंध 07
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसलों को पलटा 08
अहमदनगर का नाम बदलने की घोषणा 11
महाराष्ट्र के अनेक नगरों में औरंगजेब के नाम पर मचा बवाल 12
सऊदी अरब में हाजियों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास 15
मुसलमानों के बारे में बनी फिल्मों पर मचा बवाल 16

विश्व

अफगानिस्तान में नमाज-ए-जनाजा के दौरान बम धमाका 18
हेलमंद नदी के पानी को लेकर अफगानिस्तान और ईरान में टकराव 19
चीन द्वारा फिलिस्तीन के मामले को भुनाने का प्रयास 20
तालिबान का विदेशी एनजीओ द्वारा संचालित स्कूलों को बंद करने का फैसला 21
चीन में छह सौ वर्ष पुरानी मस्जिद ध्वस्त 21
फिलीपींस में सेना और इस्लामिक आतंकियों के बीच मुठभेड़ 22

पश्चिम एशिया

अरब जगत को वित्तीय सहायता के मकड़जाल में फंसाने की चीनी चाल 23
सोमालिया में आतंकी हमलों में 33 की मौत 25
इस बार 26 लाख मुसलमानों के हज करने की संभावना 25
सऊदी अरब द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान 26
ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं 27
ईरान ने तैयार की हाइपरसोनिक मिसाइल 28

सारांश

विवादित संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी के निधन के बाद हाल ही में बोर्ड के 28वीं अधिवेशन में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। इस अधिवेशन में कुल 11 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। बोर्ड ने एक प्रस्ताव में यह धमकी दी है कि देश में नफरत का जो माहौल बनाया गया है, उसे रोकने के लिए अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो वह विस्फोटक रूप धारण कर लेगा और इससे सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाएगा। बोर्ड ने यह भी शिकायत की है कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। समाचारपत्र का कहना है कि पहले सिर्फ मुसलमान ही निशाने पर थे, लेकिन अब मणिपुर के दंगों से यह साफ हो गया है कि इस देश में ईसाई भी सुरक्षित नहीं है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अन्य प्रस्ताव में समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध किया है और उसे संविधान के विरुद्ध बताया है। बोर्ड ने शिकायत की है कि देश में अराजकता फैली हुई है और 'सरकारी आतंकवाद' के कारण मदरसों और दशकों पुराने मकानों को बुलडोजरों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। यदि कोई इसका विरोध करता है, तो उसे आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत जेल में डाल दिया जाता है।

सत्ता में आते ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के सभी नीतिगत फैसलों को बदलने का फैसला किया है। भाजपा की पुरानी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी जो कानून बनाया था, उसे कांग्रेस की नई सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोवध निषेध कानून को भी रद्द करने की चर्चा गरम है। इसके साथ ही कनार्टक की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों के पाठ्यक्रम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार और स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जैसे देशभक्तों से संबंधित सामग्री को हटाने का फैसला किया है।

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में अशांति फैलाने के लिए विवादित मुगल बादशाह औरंगजेब और टीपू सुल्तान का सहारा लिया जा रहा है। इन दोनों धर्मांध शासकों की आड़ में हिंदुओं की भावनाओं को एक विशेष वर्ग द्वारा भड़काया गया और इसके लिए सोशल मीडिया और वाट्सऐप का खुलकर इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इसे एक गहरी साजिश बताया है और यह आशा व्यक्त की है कि महाराष्ट्र सरकार इसका पर्दाफाश करने में गुरेज नहीं करेगी।

अरब जगत में अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीन जी जान से जुटा हुआ है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान का कहना है कि चीन अरब जगत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश करने वाला देश है। इसके साथ ही मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका के वर्चस्व को कमजोर करने के चीनी प्रयास अब सफल हो रहे हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरकार को धमकी

इंकलाब (6 जून) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंदौर में हुए अधिवेशन में बोर्ड के निवर्तमान महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे बोर्ड के पांचवे अध्यक्ष होंगे। रहमानी बिहार के रहने वाले हैं, मगर उनका कार्य क्षेत्र हैदराबाद रहा है। डॉ. सैयद शाह खुसरो हुसैनी और सैयद सदातुल्लाह हुसैनी को सर्वसमिति से बोर्ड का उपाध्यक्ष और मौलाना फजलुर्रहीम मुजाद्दीदी को महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, मौलाना सैयद मोहम्मद बिलाल हसनी, मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी और डॉ. यासीन अली उस्मानी को सचिव नियुक्त किया गया है। जबकि कासिम रसूल इल्यास को प्रवक्ता और कमाल फारूकी को सहायक प्रवक्ता नियुक्त किया गया है।

सियासत (7 जून) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में सरकार से अपील की है कि समान नागरिक संहिता को लादने का प्रयास न किया जाए। अगर संसद में भारी बहुमत को देखते हुए इसको जबरन देश पर लादा गया, तो इससे देश की एकता खंडित हो जाएगी और विकास में बाधा उत्पन्न होगी। प्रस्ताव में यह भी दावा किया गया है कि सरकार इस असंवैधानिक इरादे से बाज आए।

एक अन्य प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि 1991 में विभिन्न उपासना स्थलों को यथास्थिति बनाए रखने के बारे में जो कानून संसद से पारित किया गया था, उस पर सख्ती से अमल किया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित निचली अदालतों और उच्च न्यायालय से जो फैसले आ रहे हैं, उससे मुसलमानों में बेहद परेशानी है। इस कानून के मौजूद होने के बावजूद प्राचीन मस्जिदों के खिलाफ अभियान जारी है। बोर्ड का यह अधिवेशन स्पष्ट करना चाहता है कि मस्जिद

अल्लाह का घर है और इस्लाम का यह उसूल है कि अवैध तरीके से हासिल की गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आरोप बेबुनियाद है कि कुछ मस्जिदों का निर्माण दूसरे धर्म के उपासना स्थलों पर किया गया है। बाबरी मस्जिद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस हकीकत पर मुहर लगा दी है।

एक अन्य प्रस्ताव में यह आरोप लगाया गया है कि इस देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और इसे राजनीतिक युद्ध का हथियार बनाया जा रहा है, जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। आजादी की लड़ाई के योद्धाओं और संविधान के निर्माताओं ने इस देश के लिए जो रास्ता अपनाया था, यह उसके बिल्कुल खिलाफ है। यहां शताब्दियों से विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृति से संबंध रखने वाले लोगों ने देश की सेवा की है और इसके विकास में समान भूमिका निभाई है। अगर यह सामाजिक सौहार्द और भाईचारा खत्म हो जाएगा, तो देश की एकता खंडित हो जाएगी। इसलिए यह अधिवेशन सरकार से, देशभक्त नागरिकों से, धार्मिक नेताओं से, बुद्धिजीवियों से, नेताओं से, विधिवेताओं और पत्रकारों से यह अनुरोध करता है कि वे नफरत की इस आग को पूरी ताकत से बुझाने की कोशिश करें। वरना यह आग ऐसा ज्वालामुखी बन जाएगी, जो देश की सभ्यता, उसकी ख्याति, विकास, नैतिकता सबको जलाकर खाक कर देगी।

एक अन्य प्रस्ताव में यह शिकायत की गई है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। वे सांप्रदायिक तत्वों के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और इस संदर्भ में सरकार की अनदेखी भी किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन, अब तो इस देश के दूसरे अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं हैं और इसका सबसे ताजा उदाहरण मणिपुर में ईसाई अल्पसंख्यकों के जान व माल पर हमले और उनके उपासना स्थलों को आग के हवाले करने की बढ़ती हुई घटनाएं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से मांग करता है कि वह शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और देश के सेक्युलरिज्म की रक्षा करे व विश्व स्तर पर भारत के चेहरे को कलंकित होने से बचाए।

एक अन्य प्रस्ताव मदरसों के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि इनमें दीनी शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है और यहां पर पढ़ने वालों को यह बताया जाता है कि वे इंसानों से मोहब्बत और मानवता की सेवा करें। मगर अफसोस की बात है कि देश के पूर्वी राज्यों में मदरसों को बंद करने और उनकी संपत्ति को तबाह करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह 'सरकारी आतंकवाद' का सबसे भीषण रूप है। जिस तरह बिना किसी जांच के मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, बोर्ड उसकी कड़ी निंदा करता है।

एक अन्य प्रस्ताव में देश में बढ़ती हुई अराजकता पर गहरी चिंता प्रकट की गई है और

कहा गया है कि सरकार हो या जनता, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, गरीब हो या अमीर, सभी के लिए यह जरूरी है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। दुर्भाग्य से इस समय देश में अराजकता का माहौल बन रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। आरोपी पर अपराध साबित होने से पहले ही उसे सजा देने का रूझान बढ़ रहा है। जो मकान दशकों से बने हुए हैं और जिनसे सरकार द्वारा टैक्स भी वसूले जा रहे हैं, उन्हें बुलडोजरों द्वारा मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, उन्हें गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपराध साबित किए बिना ही लंबे समय तक जेलों में रखा जाता है। यह अराजकता का सबसे घिनौना चेहरा है। अराजकता चाहे जनता की ओर से हो या सरकार की ओर से, वह घोर निंदनीय है और इसको रोकना सरकार और सभी देशवासियों का कर्तव्य है।

वक्फ के बारे में एक प्रस्ताव में सरकार से यह मांग की गई है कि वह वक्फ को अवैध कब्जों से मुक्त करे। वक्फ दीनी और मानव कल्याण के लक्ष्य से मुसलमानों की ओर से दी गई संपत्ति है, जिसको शरीयत और कानून के अनुसार उसके निर्धारित लक्ष्य पर खर्च किया जाना जरूरी है। बोर्ड ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि सरकार के कुछ प्रतिनिधि ऐसे बयान देते रहते हैं, जिनमें मुसलमानों को इन वक्फ की मिल्कियत से वंचित करने की भावना व्यक्त की जाती है। बोर्ड सरकार से यह अपील करता है कि वह ऐसे किसी भी कदम से बाज आए। इसके साथ ही बोर्ड मुसलमानों से भी अपील करता है कि वह मुसलमानों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाएं।

बोर्ड आम मुसमलानों से यह अपील करता है कि वे निकाह के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए निकाहनामा का इस्तेमाल करें और आपसी विवादों को हल करने के लिए अदालतों में जाने की बजाय शरई अदालतों या शरिया को अपना मध्यस्थ बनाएं और अपने मामले उन्हीं में ले जाएं। इससे कम खर्च में उनके विवादों का समाधान हो जाएगा। मुसलमानों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि निकाह आदि पर वे फिजुलखर्ची न करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह अधिवेशन समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप देने के हर प्रयास का सख्ती से विरोध करता है और उसे देश तथा मानवता के लिए बेहद हानिकारक मानता है। बोर्ड ने कहा कि हमें अफसोस है कि पश्चिमी देशों में समलैंगिकों के विवाह और एलजीबीटी की जो निर्लजता और अश्लील अभियान चला है, उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ने लगा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है।

दारूल उलूम देवबंद में अंग्रेजी की शिक्षा पर प्रतिबंध

सालार (15 जून) के अनुसार विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षा संस्थान दारूल उलूम देवबंद ने छात्रों को यह निर्देश दिया है कि वहां के छात्र अंग्रेजी की शिक्षा न लें और जो भी छात्र इस निर्देश का उल्लंघन करेगा, उसे इस संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस निर्देश के बाद विवाद का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। एक वर्ग दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधकों के इस फैसले की आलोचना कर रहा है। जबकि दारूल उलूम देवबंद से संबंधित वर्ग खुलकर इसका समर्थन कर रहा है और इस फैसले को छात्रों के लिए लाभदायक बता रहा है। दारूल उलूम देवबंद के शिक्षा विभाग के प्रमुख मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी ने निर्देश जारी करके कहा है कि इस संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अंग्रेजी या फिर अन्य आधुनिक विषयों की निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों को संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस निर्देश से उन छात्रों को भारी धक्का लगा है, जो दारूल उलूम में दीनी शिक्षा के साथ-साथ बाहर से अंग्रेजी या अन्य आधुनिक विषयों को पढ़ने में रुचि रखते थे।

इससे पहले दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी यह निर्देश दे चुके हैं कि दारूल उलूम देवबंद के छात्र मल्टीमीडिया या एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारूल उलूम देवबंद के अध्यापकों के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने छात्रों को यह निर्देश दिया है कि वे सिर्फ अपने आप को दारूल उलूम देवबंद की निर्धारित शिक्षा तक ही सीमित रखें और वे किसी भी बाहरी विषय या भाषा की शिक्षा प्राप्त न करें। उन्होंने कहा कि मदरसा हमारा दीन है, हमारी दुनिया नहीं। इसलिए पहले आप एक अच्छे आलिम-ए-दीन बनें और फिर उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने का प्रयास करें। क्योंकि दो नावों में सवार होने वाला कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। जिस लक्ष्य से छात्रों ने दारूल उलूम देवबंद में प्रवेश लिया है, उस पर ही पूरा ध्यान दें।

सालार (16 जून) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधकों के इस फैसले से एक नया विवाद पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी करके दारूल उलूम देवबंद से जवाब मांगे हैं। सूचना के अनुसार अल्पसंख्यक आयोग ने दारूल उलूम देवबंद के शिक्षा विभाग के प्रमुख मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा है कि आयोग को यह पता चला है कि दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधकों ने छात्रों के अंग्रेजी या कंप्यूटर आदि

सीखने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 की धारा 15 के तहत एक अपराध है। इसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि दारूल उलूम देवबंद का यह निर्देश गैरकानूनी है, जिसमें छात्रों के मनचाही शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही संस्थान ने छात्रों को गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी है, जोकि शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 की धारा 17 का उल्लंघन है और यह कानून किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक रूप से परेशान करने से मना करता है।

दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि हालांकि, दारूल उलूम देवबंद अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन संस्थान के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को बाहर से कोचिंग लेने या कोई अन्य कारोबार करने की अनुमति नहीं है। छात्रों पर यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, ताकि वे अपना पूरा समय उस पाठ्यक्रम के अध्ययन पर दें, जिसके लिए उन्होंने दारूल उलूम देवबंद में प्रवेश लिया है। उन्होंने दावा किया है कि संस्थान में अंग्रेजी और कंप्यूटर का एक अलग विभाग है। जबकि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान आदि सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। हम किसी विषय के खिलाफ नहीं हैं। छात्रों के लिए जो बेहतर समझा जाता है, वही फैसला किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रतिबंध सिर्फ उन छात्रों के लिए है, जो दारूल उलूम देवबंद में आलिम और फाजिल के पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं। वे यहां पढ़ने की बजाय शहर के किसी कोचिंग सेंटर में जाकर अंग्रेजी या अन्य विषय पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि दारूल उलूम के छात्रों को 24 घंटे दारूल उलूम देवबंद के निर्धारित पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। अगर वे बाहर जाते हैं और अंग्रेजी और कंप्यूटर आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इससे उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो नोटिस दिए हैं, उसका संस्थान द्वारा उत्तर दिया जा रहा है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसलों को पलटा

रोजनामा सहारा (16 जून) के अनुसार कर्नाटक सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के नीतिगत फैसलों को बदलने का निर्णय किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण कानून को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार से संबंधित अध्याय को भी कर्नाटक की पाठ्यपुस्तकों से हटाने की मंजूरी दे दी गई है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बताया कि कर्नाटक की सरकार ने स्कूलों के पाठ्यक्रम से डॉ. हेडगेवार और आरएसएस से संबंधित अन्य सामग्री को हटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार ने जो भी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए थे, उसे हमने बदल दिया है। अब हमने समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे नेहरू के पत्रों और डॉ. अंबेडकर से संबंधित सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है।

बंगारप्पा ने कहा कि हेडगेवार, सावरकर, दक्षिणपंथी विचारक चक्रवर्ती सुलिबेले और संस्कृत

व कन्नड के विद्वान बन्नान्जे गोविंदाचार्य से जुड़े अध्याय को पाठ्यपुस्तकों से हटाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने यह परिवर्तन इसलिए किया है, ताकि बच्चे सच्चाई को जान सकें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों में संशोधन के लिए राजप्पा दलवई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इसके अतिरिक्त छठी से दसवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ताकि बच्चों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच. के. पाटिल ने कहा है कि पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने धर्मांतरण पर जो कानून बनाया था, उसे रद्द करने के लिए विधानसभा के अगले अधिवेशन में राज्य सरकार एक नया कानून लाएगी। गौरतलब है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने कर्नाटक विधानसभा में दिसंबर 2021 में 'कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2022' पारित किया था, मगर विधान परिषद में भाजपा का बहुमत न होने के कारण यह पारित नहीं हो सका था। तब कांग्रेस और जेडीएस ने इस विधेयक का विरोध किया था। बाद में इस कानून को लागू करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। उस समय कर्नाटक के तत्कालीन गृह मंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र ने यह तर्क दिया था कि राज्य में प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही यह कानून लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का धर्म चुन सकता है, लेकिन किसी प्रलोभन और दबाव में नहीं। यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। मगर साथ ही जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को रोक लगाता है। इस कानून में 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन से पांच वर्ष की कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया था। वहीं, नाबालिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले अपराधियों के लिए तीन से 10 वर्ष तक की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। सिद्धारमैया सरकार के इन फैसलों की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। कर्नाटक के पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री व भाजपा नेता बी.सी. नागेश ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के वोटों के लिए ऐसे फैसले कर रही है।

सियासत (16 जून) के अनुसार धर्मांतरण विरोधी इस अध्यादेश में यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्मांतरण करना चाहे, तो उसे बिना किसी दबाव के कम-से-कम 30 दिन पहले जिलाधिकारी के पास एक शपथपत्र दाखिल करना होगा, जिसकी अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित व्यक्ति धर्मांतरण कर सकता था।

सालार (6 जून) के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात का संकेत दिया है कि उनकी सरकार गोहत्या निरोधक कानून को भी रद्द करने पर भी विचार कर रही है। सिद्धारमैया ने कहा है कि इस कानून को वापस लेने का फैसला मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श करने के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 वर्ष से अधिक उम्र की दूध न देने वाली गायों और कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी गोवंश की हत्या करने की व्यवस्था पहले से ही कानून में है। पशुपालन विभाग के मंत्री के. वेंकटेश ने कहा है कि जब एक भैंस का वध किया जा सकता है, तो गाय का क्यों नहीं?

समाचारपत्र ने लिखा है कि कर्नाटक गोवध निषेध कानून और पशु संरक्षण कानून को जब पारित किया गया था, तो उस समय विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। राज्य के एक अन्य मंत्री शरणबसप्पा ने यादगीर में कहा है कि सरकार गोवंध निरोधक कानून को वापस लेने पर विचार कर रही है। वहीं, भाजपा राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (10 जून) के अनुसार कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य और कांग्रेसी नेता बी.के. हरिप्रसाद ने डॉ. हेडगेवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन जैसे व्यक्तियों से संबंधित कोई भी सामग्री बच्चों के पाठ्यक्रम में कभी शामिल नहीं की जाएगी। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी हो।

सियासत (10 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हालांकि, कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में आए अभी एक महीना भी नहीं बीता है और भाजपा ने इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। नई कांग्रेसी सरकार ने पुरानी सरकार की कुछ गलत नीतियों और कानूनों में सुधार करने का फैसला किया है। यह काम देश के हर राज्य में किया जाता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी शिक्षा के पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार करने की घोषणा की है, ताकि पुरानी सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों के बारे में जो अध्याय इन पाठ्यपुस्तकों में शामिल किए गए थे, उनमें संशोधन किया जाए।

गौतरलब है कि भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल में टीपू सुल्तान से संबंधित काफी सामग्री को इन पाठ्यक्रमों से हटाया था। अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा हिजाब, हलाल मांस, समान नागरिक संहिता और आर्थिक बहिष्कार के जरिए मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था। मगर इस प्रचार से कर्नाटक की जनता प्रभावित नहीं हुई और उसने इस नफरती अभियान को नजरअंदाज करके भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया।

अहमदनगर का नाम बदलने की घोषणा

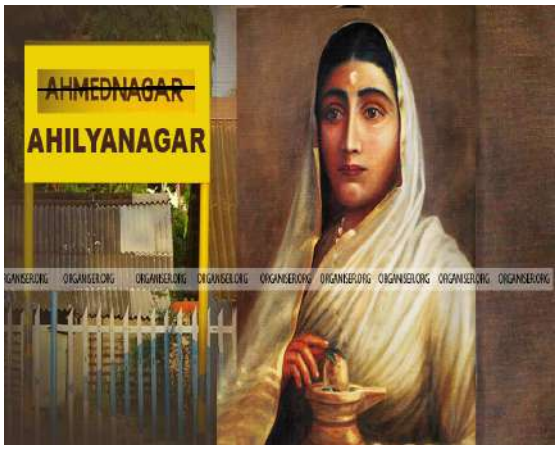

औरंगाबाद टाइम्स (1 जून) के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर के नाम को बदलने की घोषणा की है और कहा है कि यह अब अहमदनगर अहिल्याबाई होल्कर नगर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मालवा सम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होल्कर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अहमदनगर का नाम बदलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ दिखावे और वोट बटोरने की राजनीति है।

इत्तेमाद (4 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया था। अब ऐतिहासिक नगर अहमदनगर का भी नाम बदल दिया गया है। समाचारपत्र का कहना है कि हालांकि, शहरों के नाम बदलने का इतिहास पुराना है। मगर पिछले पांच सालों में इसमें और भी तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सबसे आगे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था।

इसके अतिरिक्त 25 अन्य नगरों के नाम पहले ही बदले जा चुके हैं। नगरों के नाम बदलने की होड़ में भाजपा अकेली नहीं है, बल्कि जो भी पार्टी जिस राज्य में सत्तारूढ़ रही है वहां पर उन्होंने नाम बदलने का सिलसिला जारी रखा है। कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी का नाम बदलकर राजमहेंद्रवरम, हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम, मंगलौर का नाम बदलकर मंगलुरु, बैंगलोर का नाम बदलकर बेंगलुरु, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई, महाराष्ट्र में बंबई का नाम बदलकर मुंबई, पूना का नाम बदलकर पुणे और पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी पहले ही किया जा चुका है।

औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग सबसे पहले बाल ठाकरे ने की थी। इसके बाद भाजपा और सिवसेना की संयुक्त सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया। सरकार के इन फैसलों का विरोध कॉर्पोरेटर मुस्ताक अहमद और उनके सहयोगियों ने सर्वोच्च न्यायालाय का रूख करके किया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया, मगर पिछले दिनों पहले महाविकास अघाड़ी और बाद में भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दे दी। इस फैसले का विरोध इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने किया। बाद में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया और अभी विचाराधीन है। गौरतलब है कि अहमदनगर की नींव साल 1494 में अहमद निजाम शाह ने रखी थी और इसे निजामशाही की राजधानी बनाया था।

महाराष्ट्र के अनेक नगरों में औरंगजेब के नाम पर मचा बवाल

सालार (8 जून) के अनुसार महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ युवकों द्वारा वाट्सऐप स्टेटस के जरिए औरंगजेब को महिमामंडित करने पर राज्य के अनेक नगरों में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। एक दर्जन के लगभग नगरों में दो संप्रदायों के बीच जोरदार झड़पें हुईं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने अनेक स्थानों पर बल प्रयोग किया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया।

रोजनामा सहारा (10 जून) के अनुसार नवी मुंबई पुलिस ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तस्वीर को वाट्सऐप प्रोफाइल के रूप में लगाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रोफाइल तस्वीर का स्क्रीन शॉट एक हिंदू संगठन द्वारा पुलिस को सौंपा गया था। इसके बाद इस व्यक्ति पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 298 और धार्मिक आधार पर विभिन्न वर्गों में नफरत को फैलाने के आरोप में धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

कोल्हापुर में कुछ स्थानीय लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया, तो दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। इससे पहले अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गईं। वहीं, संगमनेर में एक लड़के की कथित हत्या के विरोध में सकल हिंदू समाज की रैली के दौरान पथराव हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए।

औरंगाबाद टाइम्स (8 जून) के अनुसार कोल्हापुर में औरंगजेब को महिमामंडित करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर दो गुटों में हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने बताया कि औरंगजेब को महिमामंडित करते हुए एक पोस्ट वाट्सऐप ग्रुप पर वायरल हुई थी, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का फैसला किया था। वे इस वाट्सऐप ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने इस ग्रुप के खिलाफ नगर के दशहरा चौक, टाउन हॉल, लक्ष्मीपुरी आदि स्थानों पर उग्र प्रदर्शन किया। दोनों गुटों में संभावित झड़पों को रोकने के

मजार के करीब से गुजरते हुए दो गुटों में झड़पें हुई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि इस सारी साजिश के पीछे शिंदे और फडणवीस का हाथ है। इसलिए पुलिस शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे सुरक्षित नगर के एक हॉस्टल की छात्रा की जिस बेदर्दी से हत्या हुई, उससे साफ प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र में समाज दुश्मन तत्वों का बोलबाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे देवेंद्र फडणवीस से गृह मंत्रालय वापस ले लें। क्योंकि वे शांति व्यवस्था को बरकरार रखने में विफल रहे हैं।

लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को अलग-थलग कर दिया। इस वाट्सऐप ग्रुप से संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नगर में धारा 144 लगा दी गई है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि न जाने औरंगजेब की कितनी औलादें पैदा हो गई हैं, जो उसे महिमांडित करती हैं और इस कारण समाज में तनाव पैदा हो गया है। हमें यह पताना लगाना होगा कि इस अभियान के पीछे किनका हाथ है? उन्होंने जनता से अपील की कि वे कानून को अपने हाथ में न लें।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा है कि अगर कोई औरंगजेब की प्रशंसा में तस्वीर या पोस्टर लगाता है, तो इसमें हिंसा भड़काने की क्या जरूरत है? उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। अगर सरकार के इशारे पर लोग सड़क पर उतरकर हिंसा करते हैं, तो उन्हें रोकना सरकार की जिम्मेवारी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में संभाजी जयंती के अवसर पर निकले जुलूस के दौरान दो गुटों में पथराव हुआ। शिरगांव में संभाजी जयंती के अवसर पर एक

मुंबई उर्दू न्यूज (9 जून) के अनुसार कोल्हापुर में हंगामे के बाद औरंगजेब का पुतला फूंकने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे और आठ अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब तक इस संदर्भ में 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे महाराष्ट्र में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीपू सुल्तान के पक्ष में भी वाट्सऐप ग्रुप पर पोस्ट डालने का एक वर्ग ने विरोध किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 जून) के अनुसार महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और औरंगजेब को लेकर राजनीति दिन-प्रतिदिन गरम होती जा रही है। जिस प्रकार से औरंगजेब को सुनियोजित ढंग से महिमामंडित किया जा रहा है, उसका विरोध हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है। अब बीड जिले के आष्टी नगर में भी तनाव पैदा हो गया है। वहां पर एक 14 वर्षीय लड़के ने वाट्सऐप स्टेटस के जरिए औरंगजेब का महिमामंडन किया, जिसका

विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। नाशिक जिले के घोटी में भी दो गुटों में जमकर नारेबाजी हुई और पथराव हुआ।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 जून) के अनुसार कोल्हापुर में अनेक दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक कोल्हापुर पहुंच गए हैं और नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही राज्य रिजर्व पुलिस बल के विशेष दस्ते को भी नगर में तैनात किया गया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने संवाददाताओं को बताया कि एक विशेष वर्ग की ओर से जिस तरह से औरंगजेब और टीपू को महिमामंडित किया जा रहा है और दूसरे वर्ग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, यह केवल संयोग नहीं है। मुगल बादशाह औरंगजेब को महिमामंडित करने और एक वर्ग को निशाना बनाने को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाओं की जांच करवाई जा रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (8 जून) के अनुसार समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने टाइम्स नाउ टीवी चैनल पर बताया कि वह औरंगजेब के साथ हैं। क्योंकि, औरंगजेब से कोई बड़ा सेक्युलर शासक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। कुछ लोग जानबूझकर समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। अगर कोई औरंगजेब और टीपू सुल्तान के बारे में सच्चाई बयान करता है, तो उस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

औरंगाबाद टाइम्स (9 जून) के अनुसार शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने शिंदे-फडणवीस सरकार पर कोल्हापुर में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू होती है, तो उसे बजरंगबली और हनुमान चालीसा की याद आती है और वह भी कर्नाटक के चुनाव में उनके काम नहीं आया। उन्होंने कहा कि 400 साल पहले औरंगजेब को दफन कर दिया गया था। मगर भाजपा उसे बारबार जिंदा कर देती है। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर के दंगों में कोई स्थानीय व्यक्ति शामिल नहीं था। दंगा करने वाले बाहर से आए थे। राउत ने सरकार से मांग की कि असली दंगाईयों की तलाश की जाए। उन्होंने देवेंद्र फाडणवीस से पूछा कि क्या आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब की जरूरत है? औरंगजेब की तस्वीर पर शरद पवार ने कहा था कि अगर कोई किसी को महिमामंडित करता है, तो उसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? उनके इस बयान पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के नेता नीलेश राणे ने शरद पवार को औरंगजेब का अवतार कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। नीलेश राणे के इस बयान के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है। आरपीआई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास आठवले ने कोल्हापुर के दंगों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की शंका व्यक्त की है।

टिप्पणी: महाराष्ट्र में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो उस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने टीपू सुल्तान और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को

महिमामंडित करते हुए वाट्सऐप और फेसबुक पर शिवाजी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की। खास बात यह है कि ऐसी टिप्पणी करने वाले 11 लोगों में से नौ नाबालिग थे। इस टिप्पणी का विरोध जब कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने किया, तो उन पर एक वर्ग द्वारा पथराव किया गया, जिसके बाद नगर में हिंसा भड़क उठी। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और दुकानें फूंक डाली गई। मकानों पर भी पथराव किया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। खास बात यह है कि इसके बाद महाराष्ट्र के अनेक नगरों में सुनियोजित ढंग से टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए। अहमदनगर में औरंगजेब की तस्वीरों को हाथ में लेकर एक वर्ग द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें दूसरे वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने इस संदर्भ में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

गौरतलब है कि 15 मई को शेख आफताब मन्नान नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर शिवाजी के बारे में आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने झुकते हुए दिखाया गया था और इस वीडियो का शीर्षक था, 'औरंगजेब हिंदुस्तान का बाप।' पुलिस ने शेख आफताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों से पूछा है कि क्या विपक्षी दलों के कुछ नेताओं द्वारा राज्य में दंगों जैसे हालात संबंधी बयान देना और इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महिमामंडित किए जाने का आपस में कोई संबंध है? इस घटना को महज संयोग नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर मुगल बादशाह औरंगजेब को महिमामंडित किया जाना सहन नहीं किया जाएगा। हम इस बात की उच्चस्तरीय जांच कर रह रहे हैं कि औरंगजेब को महिमामंडित करने और शिवाजी पर टिप्पणी करने के पीछे किन लोगों का हाथ था? उन्होंने कहा कि अहमदनगर जिले में एक जुलूस के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब के पोस्टर लेकर घूमने और आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो उसके बाद कोल्हापुर और अन्य नगरों में बवाल खड़ा हो गया। कोल्हापुर में बवाल मचाने वाले दो व्यक्ति स्थानीय थे। जबकि बाकी बाहर के लोग थे। पुलिस इन सभी घटनाओं की बारिकी से जांच कर रही है, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

सऊदी अरब में हाजियों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास

इंकलाब (15 जून) के अनुसार मक्का व मदीना में भारतीय हज यात्रियों को हो रही परेशानियों की खबर मीडिया में आने के बाद भारत सरकार हरकत में आई है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि हाजियों की परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को सऊदी अरब भेजा गया है। वह वहां के स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही हैं। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि हाजियों को सऊदी अरब में परेशानी हो रही है, तो उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले 150 हाजियों की निगरानी के लिए एक

खादिम-उल-हुज्जाज को सऊदी अरब भेजा जाता था। मगर इस बार अर्द्धसैनिक बल के जवानों को भेजा गया है, ताकि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो वे उससे निपट सकें।

सियासत (16 जून) ने मक्का-मदीना में हाजियों को हो रही कठिनाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है और यह शिकायत की है कि हज यात्री जब मक्का पहुंचे, तो उनके लिए आवास की सही व्यवस्था नहीं थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया और राज्यों की हज कमेटी की ओर से हज यात्रियों की सुविधा के लिए जो लंबे चौड़े दावे किए गए थे, वे सब हवा-हवाई साबित हुए हैं। जिन आवासीय भवनों में हाजियों को ठहराया गया है, उनमें बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई सरकारी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। हज कमेटी की ओर से जो सिम कार्ड हाजियों को उपलब्ध कराए गए थे, वह कई-कई दिनों तक एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए उन्हें नए सिम कार्ड खरीदने पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ी है। अजीजिया इलाके के आवासीय भवनों में शौचालय और रसोई घर का समुचित प्रबंध नहीं है। एक-एक कमरे में आठ से दस हाजियों को रखा गया है।

इंकलाब (8 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश के हाजियों ने भी अव्यवस्था की शिकायत की और कहा है कि मदीना में होटलों की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। 50-50 लोगों को एक रसोई घर और एक फ्रीज की सुविधा दी जा रही है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं होने के कारण भी काफी परेशानी हो रही है। इसके अतिरिक्त फ्लाइट में भी हाजियों को काफी परेशानी हुई है और उन्हें कई-कई घंटों तक लाइनों में खड़े होकर फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा है।

मुसलमानों के बारे में बनी फिल्मों पर मचा बवाल

सियासत (6 जून) ने शिकायत की है कि देश में इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने के लिए घृणित साजिश के तहत फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। हाल ही में 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरल स्टोरी' नामक दो विवादित फिल्मों के रिलीज होने से सांप्रदायिक तत्वों को संतोष नहीं हुआ है। इसलिए अब दो नई विवादित फिल्में तैयार की जा रही हैं, जिसके शीघ्र ही रिलीज किए जाने की संभावना है। आतंकवाद से मुसलमानों को जोड़ने के लिए फिल्म '72 हूरें' को बनाने का काम शुरू हो चुका है। हाल ही में इस विवादित फिल्म का एक टीजर भी जारी किया गया है। इस फिल्म को सात जुलाई को रिलीज किए जाने की संभावना है, जिसमें हूरों का लालच देकर मुसलमानों को आतंकवादी संगठनों में शामिल करने की कहानी पेश की जा रही है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर नजर आएंगे। इस फिल्म का

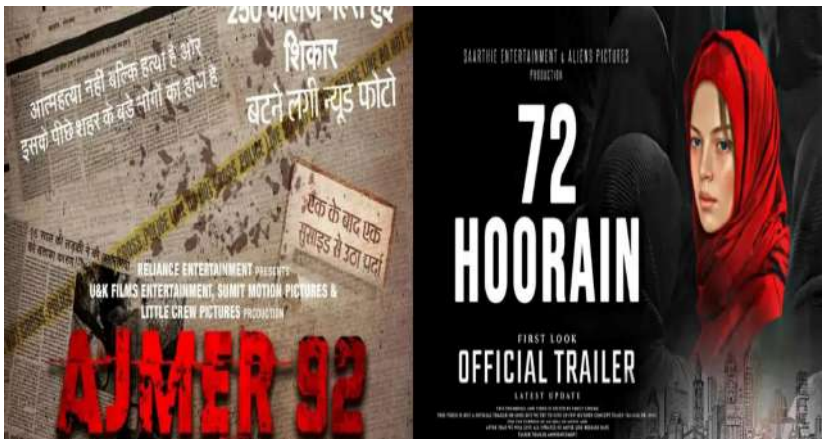

निर्देशन संजय पूरन सिंह चौहान ने किया है और सह-निर्माता अशोक पंडित है।

इसी बीच एक और फिल्म 'अजमेर 92' भी बनाई जा रही है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और कहा है कि समाज की एकता को खंडित करने के लिए यह फिल्म बनाई जा रही है। अजमेर के ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती हिंदू-मुस्लिम एकता के एक शानदार उदाहरण हैं। उनकी शख्सियत 'अमन के वाहक' के रूप में मशहूर है। इस फिल्म द्वारा गलत संदेश देने की कोशिश की गई है और इसका लक्ष्य मुसलमानों को बदनाम करना है। एक घटना को आधार बनाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 जून) के अनुसार इन फिल्मों को बनाने के पीछे भाजपा की सरकार का हाथ है, जिसका लक्ष्य हिंदू वोटों के धुव्रीकरण के लिए हिंदू भाईयों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी को भड़काना है। कर्नाटक में भाजपा के सफाए के बाद अब उसने समाज को विभाजित करने के लिए फिल्मों का सहारा लिया है।

इत्तेमाद (7 जून) ने अपने संपादकीय में यह शिकायत की है '72 हूरें' नामक फिल्म बनाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि जन्नत में हूरों का लालच देकर कुछ लोगों को आतंकवादी गतिविधियों की ओर धकेला जा रहा है। इस फिल्म के सह-निर्माता अशोक पंडित ने यह तर्क दिया है कि उनका लक्ष्य आतंकवाद के विभिन्न आयामों को बेनकाब करना है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके कई सहयोगियों ने 'द केरल स्टोरी' का खुलकर प्रचार किया। मगर देश की जनता काफी समझदार है और वह भाजपा की चाल को समझ गई है। यही कारण है कि कर्नाटक के चुनाव से पूर्व रिलीज की गई 'द केरल स्टोरी' के बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक अन्य विवादित फिल्म 'अजमेर 92' बनाई जा रही है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों में घृणा का प्रचार करती है।

सालार (7 जून) ने अपने संपादकीय में वीर सावरकर पर फिल्म बनाने की निंदा की है और कहा है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगकर उनसे पेंशन ली है।

हमारा समाज (7 जून) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि एक तय अभियान के तहत फिल्मों के जरिए समाज में एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ऐसी फिल्में बनाने का लक्ष्य यह है कि हिंदी बेल्ट में नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी की लोकप्रियता हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पर ही टिकी हुई है। समाचारपत्र ने मांग की है कि '72 हूरें' और 'अजमेर 92' के प्रदर्शन पर सरकार तुरंत प्रतिबंध लगाए।

अफगानिस्तान में नमाज–ए–जनाजा के दौरान बम धमाका

इंकलाब (7 जून) के अनुसार अफगानिस्तान के प्रांत बदख्शान के कार्यवाहक गवर्नर मौलवी निसार अहमद अहमदी एक आत्मघाती हमले में मारे गए हैं। समाचारपत्र के अनुसार बदख्शान की राजधानी फैजाबाद में उनकी कार को निशाना बनाया गया था। गवर्नर के सूचना अधिकारी ने इस हमले की पुष्टि की है। इस धमाके में तीन अन्य व्यक्ति भी मारे गए हैं।

रोजनामा सहारा (10 जून) के अनुसार जब एक मस्जिद में मृतक गवर्नर की नमाज-ए-जनाजा अदा की जा रही थी, तो वहां पर भी एक भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें कम से 15 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। मरने वालों में उत्तरी बागलान प्रांत के पूर्व पुलिस प्रमुख शफीउल्लाह समीम भी शामिल हैं। डॉक्टरों के अनुसार मरने वालों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाना इस्लाम और मानवता दोनों के खिलाफ है। इस बम धमाके की जिम्मेवारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है। बताया जाता है कि गवर्नर की हत्या की जिम्मेवारी भी आईएसआईएस ने ली है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रलय के अनुसार देश भर में आईएसआईएस के समर्थकों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं।

गौरतलब है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हुए हैं, तब से आईएसआईएस लगातार लोगों के खून से होली खेल रही है। पिछले एक वर्ष में सौ से अधिक ऐसे धमाके हुए हैं, जिनमें दस हजार लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इससे पूर्व मार्च महीने में बल्ख के गवर्नर को भी इसी तरह से आईएसआईएस के आतंकियों ने मारा था। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे इस्लाम के दुश्मनों की हरकत बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस्लाम के ये दुश्मन लगातार अल्पसंख्यकों, विदेशी दूतावासों और तालिबान के अधिकारियों को अपना निशाना बना रहे हैं।

हेलमंद नदी के पानी को लेकर अफगानिस्तान और ईरान में टकराव

सियासत (7 जून) के अनुसार हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1150 किलोमीटर है। यह नदी देश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों के लिए रोजगार का एक महत्त्वपूर्ण जरिया है। इसके अतिरिक्त, यह नदी ईरान के प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित हामुन झील को भी पानी सप्लाई करती है, जोकि ईरान के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। 1973 में ईरान और अफगानिस्तान ने इस नदी के पानी के विभाजन को लेकर हस्ताक्षर किए थे।

इस संधि के अनुसार अफगानिस्तान को हर साल इस नदी से ईरान को 850 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सप्लाई करना होगा। मगर हाल ही में पानी के विभाजन के सवाल पर ईरान और अफगानिस्तान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद, ईरानी सैनिकों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच सशस्त्र भिडंत हुई, जिसमें कम-से-कम चार सुरक्षाकर्मी मारे गए। ईरान और तालिबान के बीच तनाव तब और बढ़ गया, जब ईरान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाया कि उसने ईरान के लिए पानी की सप्लाई को बहुत सीमित कर दिया है। इस विवाद के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है, जिनमें दो दर्जन से अधिक सैनिक मारे गए हैं।

पिछले महीने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी कि वह हेलमंद नदी पर ईरान के पानी के अधिकार को सुनिश्चित करे वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि हम ईरानियों के अधिकारों के लिए कुछ भी करेंगे। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि हालांकि, तालिबान अफगानिस्तान और ईरान के बीच हुए 1973 की संधि के पाबंद हैं, लेकिन इन दिनों अफगानिस्तान में वर्षा न होने के कारण भीषण जल संकट है। ऐसी स्थिति में ईरान को इस नदी का पूरा पानी सप्लाई करना संभव नहीं है। मिडिल ईस्ट इंस्टिट्यूट की फातिमेह अमान का कहना है कि दोनों देशों के बीच जिस तरह से मतभेद उभर रहे हैं, वह कभी भी खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। जबकि ईरान ने कहा है कि वह इस विवाद को बातचीत से हल करने का प्रयास कर रहा है।

चीन द्वारा फिलिस्तीन के मामले को भुनाने का प्रयास

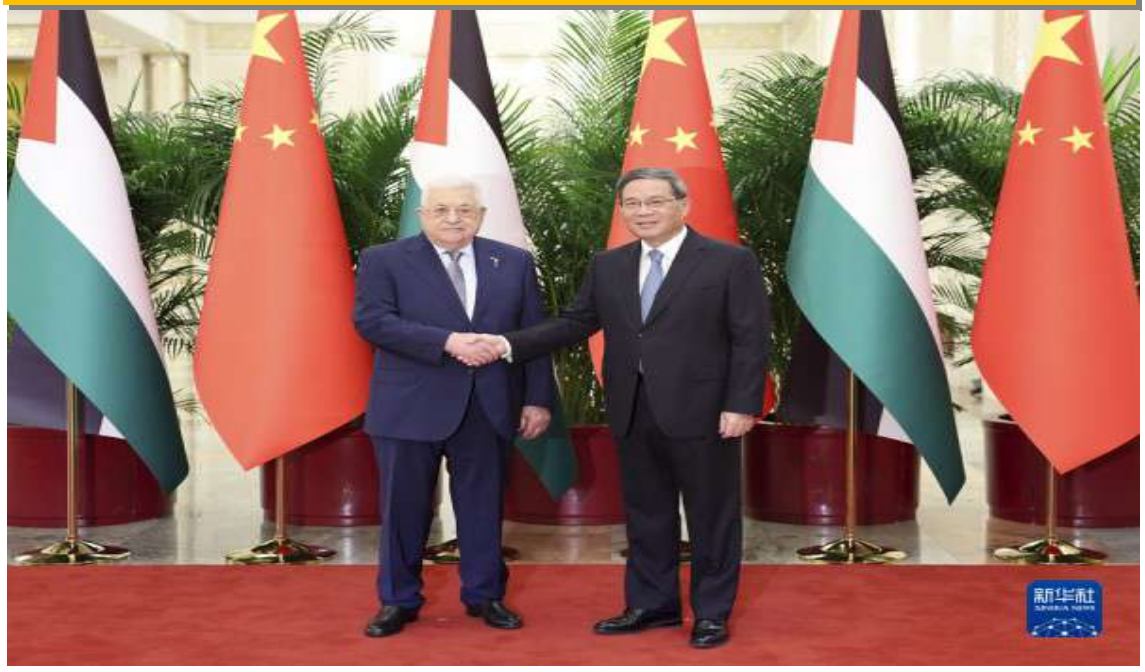

रोजनामा सहारा (11 जून) के अनुसार चीन ने अरब जगत में अपने प्रभाव में बढ़ोतरी के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे को भुनाने का फैसला किया है। चीन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को चीन के सरकारी दौरे का आमंत्रण दिया है और कहा है कि वे अगले सप्ताह चीन की राजधानी बीजिंग आएंगे। चीन ने कहा है कि वह इजरायल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद के समाधान हेतु सहायता करने के लिए तैयार है। चीन की इस घोषणा के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसी महीने चीन का दौरा करने की घोषणा की है। चीन के विदेश मंत्री ने इजरायल और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों को यह पेशकश की है कि वे इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए इच्छुक हैं।

रोजनामा सहारा (15 जून) के अनुसार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अपने विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी के साथ चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चीन ने फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उनका समर्थन किया है। इससे यह साफ हो गया है कि फिलिस्तीनी रियासत की स्थापना के लिए चीन अब खुलकर समर्थन में आ गया है। चीन और फिलिस्तीन के बीच वार्ता की शुरुआत 2017 में हुई थी। तब भी फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने चीन का दौरा किया था। इसके बाद इन दोनों देशों के बीच संपर्क बना रहा। चीन ने घोषणा की है कि वह इजरायल अधिकृत वेस्ट बैंक पर चार परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार है, जिनमें सौर उर्जा के पैनल के लिए एक फैक्ट्री की स्थापना एक स्टील प्लांट का निर्माण और सड़कों के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। चीन की इस घोषणा से यह साफ हो गया है कि वह अब इस विवाद में खुले आम कूद पड़ा है।

तालिबान का विदेशी एनजीओ द्वारा संचालित स्कूलों को बंद करने का फैसला

रोजनामा सहारा (10 जून) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने यह घोषणा की है कि उसके देश में विदेशी एनजीओ के जो स्कूल चल रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तालिबान की इस घोषणा पर यूनिसेफ ने चिंता प्रकट की है और कहा है कि हम इस संबंध में और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर तालिबान ने इन स्कूलों पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया, तो आठ लाख अफगान छात्र शिक्षा की सुविधा से वंचित हो जाएंगे, जोकि इन विदेशी एनजीओ की सहायता से चलने वाले स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन स्कूलों में पांच लाख छात्र और तीन लाख छात्राएं शामिल हैं।

इससे पूर्व तालिबान सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य विदेशी एनजीओ में काम करने वाली अफगान महिलाओं पर प्रतिबंध लगा चुकी है, जिसके कारण अफगानिस्तान के दूर-दराज क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों को विदेशों से मिलने वाली खाद्य और अन्य सहायता की सप्लाई ठप हो गई है। गौरतलब है कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ होने के बाद माध्यमिक स्कूलों व विश्वविद्यालयों में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त अफगान सरकार महिलाओं के नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। ■

चीन में छह सौ वर्ष पुरानी मस्जिद ध्वस्त

इंकलाब (1 जून) के अनुसार चीन के प्रांत युन्नान में एक छह सौ वर्ष पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। इस घटना के बाद से चीनी मुसलमानों में भय और गुस्से का माहौल है। बताया जाता है कि साल 1370 में इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह मस्जिद चीन के शहर नागो में स्थित है। चीन सरकार का कहना था कि इस मस्जिद का नवनिर्माण जिसमें एक गुंबद और मीनार शामिल है, अवैध रूप से किया जा रहा है। इसके बाद यह मामला अदालत में चला गया। साल 2020 में अदालत ने भी इस मस्जिद की मीनार और गुंबद को गिराने का आदेश दिया। इस अदालती फैसले के खिलाफ दो सालों तक इस मस्जिद की प्रबंध समिति उपरी अदालतों में कानूनी जंग लड़ती रही।

लेकिन अब चीन सरकार ने इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के खिलाफ स्थानीय मुसलमानों ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अलग-थलग करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। इन झड़पों में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

फिलीपींस में सेना और इस्लामिक आतंकियों के बीच मुठभेड़

रोजनामा सहारा (15 जून) के अनुसार फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र में वहां की सेना और आईएसआईएस के आतंकियों के बीच जबर्दस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें आईएसआईएस के कमांडर सहित कई लोग मारे गए। फिलीपींस की सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि मारे गए आतंकी की पहचान फहरुदीन हादजी बेनिटो उर्फ अबू जकारिया के रूप में हुई है, जोकि दक्षिण पूर्वी एशिया में आईएसआईएस का प्रमुख था। प्रवक्ता ने बताया कि सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर आईएसआईएस के एक गुप्त अड्डे पर छापा मारा था। इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक दर्जन से अधिक आईएसआईएस के आतंकी मारे गए। पुलिस ने इस अड्डे से काफी अस्त्र-शस्त्र बरामद किया है।

गौरतलब है कि इस समय फिलीपींस का एक तिहाई हिस्सा आईएसआईएस के कब्जे में है। अक्टूबर 2017 में इन इस्लामिक आतंकियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। आईएसआईएस के कब्जे से इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए फिलीपींस की सेना पिछले पांच महीनों से आईएसआईएस के आतंकियों से सशस्त्र संघर्ष कर रही है। इस दौरान 200 से अधिक सैनिक सहित डेढ़ हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब मरावी नगर को आईएसआईएस के चंगुल से मुक्त करवाने में सरकारी सेना सफल रही है।

अरब जगत को वित्तीय सहायता के मकड़जाल में फंसाने की चीनी चाल

इत्तेमाद (6 जून) के अनुसार सऊदी अरब के रियाद में अरब-चीन व्यापार सम्मेलन के पहले दिन सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि चीन और अरब जगत के बीच अरबों डॉलर के पूंजी निवेश पर समझौते हुए हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह सम्मेलन चीन और मध्य पूर्व के देशों के बीच वित्तीय संबंधों को बढ़ाने, व्यापार को प्रोत्साहन देने और कूटनीति को नया रंग देने का प्रयास है। हाल ही में चीन के प्रयास से ईरान और सऊदी अरब के बीच एक दशक के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, जिसके कारण अरब जगत का पूरा राजनीतिक और आर्थिक परिवेश ही बदल गया है।

सऊदी अरब की पूंजी निवेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी अरब इस सम्मेलन का मेजबान है। इस तरह का यह दसवां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में चीन और अरब देशों के साढ़े तीन हजार से अधिक उच्च सरकारी अधिकारी और उद्योगपति एक दूसरे के नजदीक आएंगे और चीन व अरब जगत के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत होगी। सरकारी बयान के अनुसार पहले ही दिन दोनों देशों के बीच दस अरब डॉलर के पूंजी निवेश पर समझौते हुए हैं, जोकि सऊदी अरब की फर्मों या सरकारी संस्थानों में पूंजी निवेश के बारे में है। इनमें सऊदी अरब और बिजली की कारें बनाने वाली चीनी कंपनी 'ह्यूमन होराइजन्स' के साथ हुआ समझौता सबसे प्रमुख है, जोकि 5.6 अरब डॉलर का है।

इसके अतिरिक्त कई अन्य समझौते दूसरी कंपनियों के साथ भी हुए हैं, जिनका संबंध ऊर्जा, रियल स्टेट, प्राकृतिक संसाधनों के विकास और

पर्यटन आदि क्षेत्रों से है। सऊदी सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच सात अरब डॉलर के पूंजी निवेश पर समझौता होने की संभावना है। सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इस सम्मेलन से अरब जगत में एक नए युग की शुरुआत होगी। सऊदी सरकार के एक बयान के अनुसार सऊदी अरब में लोहे का एक विशाल कारखाना स्थापित करने के लिए झोंगहुआन इंटरनेशनल ग्रुप और एएमआर अलुवला कंपनी के बीच 53 करोड़ 30 लाख डॉलर का समझौता हुआ है। जबकि सऊदी अरब की एक अन्य कंपनी ए. एस.के. ग्रुप व चाइना नेशनल जियोलोजिकल और माइनिंग कॉर्पोरेशन के बीच सऊदी अरब में तांबे के उत्खनन के लिए 50 करोड़ डॉलर का समझौता हुआ है।

इत्तेमाद (13 जून) के अनुसार सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने घोषणा की है कि हम सऊदी अरब और चीन के बीच बढ़ते हुए संबंधों के बारे में पश्चिमी देशों के संदेह को कोई महत्व नहीं देते हैं और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। सऊदी अरब चीन के साथ प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग चाहता है। तेल निर्यात करने वाले विश्व के सबसे बड़े देशों और चीन के बीच संपर्क का एक कारण पेट्रोलियम का निर्यात भी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनैतिक क्षेत्र के साथ-साथ सुरक्षा और संवेदनशील तकनीक में भी सहयोग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों को परेशानी हो रही है। पर हम इस बात का कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि हर उद्योगपति को उसी बात में रुचि होती है, जहां उसे लाभ हो।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। इससे पूर्व सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल उत्पादक कंपनी 'अरामको' ने भी सऊदी अरब और चीन के बीच दो बड़े समझौते होने की घोषणा की थी, जिसके तहत चीन में सऊदी अरब ने अरबों डॉलर का पूंजी निवेश किया है। अब सऊदी अरब धीरे-धीरे चीन को सबसे ज्यादा ऑयल उपलब्ध कराने वाला देश बनता जा रहा है। दिसंबर महीने में चीन के राष्ट्रपति ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि दोनों देशों के बीच कारोबार का आधार अमेरिकी डॉलर नहीं, बल्कि चीन की करेंसी युआन होगी। सऊदी अरब के पूंजी निवेश मंत्री खालिद अल-फलीह ने कहा है कि हमें सिर्फ तेल के निर्यात की आर्थिक नीति पर ही निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि इसे अन्य उद्योगों में भी बढ़ाना होगा।

सालार (15 जून) ने अपने संपादकीय में सऊदी अरब और चीन के बीच बढ़ते हुए संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इससे अमेरिका को परेशानी हो रही है। मगर सऊदी अरब अपने 'विजन 2030' और चीन बी.आर.आई. (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) को अपने लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है। विजन 2030 की शुरुआत सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में की थी। सऊदी अरब पिछले कई दशकों से अमेरिका का समर्थक था। मगर हाल ही में 'अमेरिकी नीति' के कारण उसका उससे मोहभंग हुआ है और उसके चीन से संबंध बढ़ गए हैं।

गौरतलब है कि चीन और सऊदी अरब के बीच 1990 में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए थे और पिछले 32 सालों में दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संबंध सुधरे हैं। 1998 में वर्तमान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जब युवराज थे, तब वे चीन के दौरे पर गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों का नया दौर शुरू हुआ। 2019 के बाद से दोनों देशों के बीच के संबंधों में और भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद चीन और सऊदी अरब के बीच पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है। सऊदी अरब

का यह प्रयास है कि वह अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करे। अपने हितों को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका से जान छुड़ाई है और चीन का हाथ थाम लिया है। मुस्लिम देशों में सऊदी अरब का भारी प्रभाव है। इसलिए मुस्लिम जगत में घुसपैठ के लिए चीन सऊदी अरब का सहारा ले रहा है। अभी तक चीन सऊदी अरब से ही तेल लेता था। मगर अब उसने रूस से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया है।

सोमालिया में आतंकी हमलों में 33 की मौत

इंकलाब (11 जून) के अनुसार सोमालिया के शहर कोरिओली के एक खेल के मैदान में हुए धमाके में कम-से-कम 33 बच्चे मारे गए और 53 घायल हो गए। मरने वाले बच्चों में अधिकांश की उम्र 10 से 15 साल के बीच है। बताया जाता है कि इन हमलों के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन अल-शबाब का हाथ है। अल शबाब का संबंध आतंकी संगठन अलकायदा से बताया जाता है। सोमालिया में पिछले एक दशक से अल-शबाब खून की होली खेल रहा है। अब तक वहां पर एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार सोमालिया की राजधाानी मोगादिशु के एक पांच सितारा होटल पर अल-शबाब से जुड़े हुए आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कम-से-कम छह लोग मारे गए और दस लोग जख्मी हो गए। सोमालिया पुलिस और सुरक्षा बलों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अल-शबाब द्वारा बंधक बनाए गए 80 लोगों को उनके चंगुल से छुड़ाया गया। इस ऑपरेशन में सोमालिया के नौ सैनिक भी मारे गए हैं।

इस बार 26 लाख मुसलमानों के हज करने की संभावना

इत्तेमाद (14 जून) के अनुसार इस वर्ष 26 लाख मुसलमानों के हज करने की संभावना है। अब तक साढ़े चार लाख से अधिक मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हज के लिए आने वाले हाजियों का स्वागत फूलों, खजूरों और आब-ए-जमजम से किया जाएगा। इस वर्ष का हज 26 जून से शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी के बाद यह सबसे बड़ी हज यात्रा है। इस वर्ष हाजियों की सेवा के लिए 22 हजार लोगों को नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब के सुरक्षा विभाग ने यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति बिना परमिट के हज यात्रियों को लाते हुए पकड़ा जाएगा, उसे छह महीने की जेल और 50 हजार रियाल जुर्माने की सजा दी जाएगी और उनके वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। हज नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी व्यक्ति को देश से न केवल निष्कासित कर दिया जाएगा, बल्कि

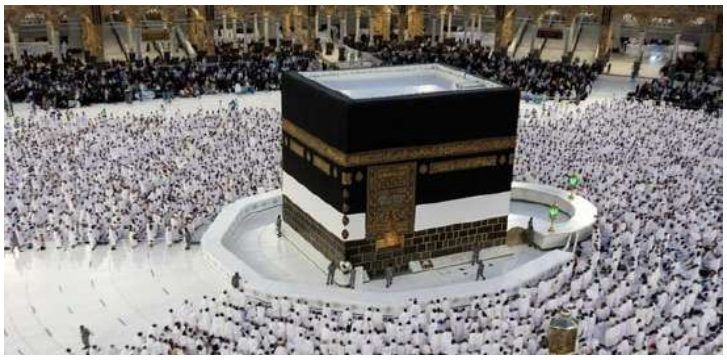

उसके भविष्य में सऊदी अरब आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

हाजियों के लिए यातायात की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और उन्हें दस लाख कुरान पाक की प्रतियां मुफ्त में बांटी जाएगी। हज के इस सीजन में 35 हजार घंटे कुरान की तिलावत करने की भी व्यवस्था की जा रही है, जोकि विश्व की दस भाषाओं में होगा। 30 हजार स्थानों पर 40 मिलियन लीटर आब-ए-जमजम का वितरण हाजियों में किया जाएगा। सऊदी अरब के हज व उमरा मंत्री डॉ. तौफीक बिन फौजान अल-राबिया ने कहा है कि आने वाले हाजियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमारी यह जिम्मेवारी है कि हज यात्रियों को हज के लिए बेहतरीन वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

सऊदी अरब द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान

इंकलाब (6 जून) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने यह घोषणा की है कि तेल के मूल्य में वृद्धि के उद्देश्य से वह अपने देश में तेल के उत्पादन में कटौती कर रही है। यह निर्णय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक देशों की बैठक के बाद किया गया। सऊदी अरब के उर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अल-अरेबिया को बताया कि सऊदी अरब ने तेल के उत्पादन में कटौती का जो फैसला किया है, उसका लक्ष्य बाजार में तेल के मूल्यों को स्थिर बनाना है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी, तो तेल के उत्पादन में कटौती की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

दूसरी ओर, संयुक्त अरब अमीरात ने भी तेल के उत्पादन में वृद्धि करने का संकेत दिया है। जबकि सऊदी अरब ने प्रतिदिन एक मिलियन बैरल तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब में तेल का उत्पादन, जो मई में लगभग दस मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, अब कम होकर नौ मिलियन बैरल प्रतिदिन ही रह जाएगी।

ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जून) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजरायल की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाला जाएगा और अगर ईरान नहीं मानता है, तो हम उसे रोकने के लिए सभी विकल्पों का उपयोग करेंगे, ताकि ईरान परमाणु अस्त्र-शस्त्र न बना सके। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इजरायल बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम इस बात का प्रयास जारी रखेंगे कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच के संबंधों को सामान्य बनाया जाए। क्योंकि, यह अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। उन्होंने अमेरिकी-इजरायल लोक संपर्क कमेटी की बैठक में बताया कि हम इस संदर्भ में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अरब देशों के साथ इजरायल के संबंधों को स्थापित करने के लिए 'अब्राहम समझौते' का जो प्रयास किया था, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि इजरायल अधिक सुरक्षित, स्थिर और खुशहाल बने।

सियासत (3 जून) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए इजरायल हर कदम उठाएगा। उन्होंने परमाणु ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को विशेष रूप से अपना निशाना बनाया, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के निरीक्षण का कार्य बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि यह एजेंसी ईरानी राजनैतिक दबाव के आगे झुक गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को धोखा दे रहा है और अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम को जारी रखता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि यूरेनियम को 90 प्रतिशत संवर्धित करने के बाद कोई भी देश परमाणु बम बना सकता है।

ईरान ने तैयार की हाइपरसोनिक मिसाइल

इंकलाब (7 जून) के अनुसार ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की घोषणा की है, जिसकी तस्वीर ईरानी सरकारी मीडिया में भी प्रकाशित हुई है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार 'फतह' नामक यह मिसाइल 1400 किलोमीटर तक किसी भी चीज को अपना निशाना बना सकती है। इस संबंध में जो समारोह आयोजित किया गया था, उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के उच्च सैनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद-रजा घराई अश्तियानी ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए हर तरह के अस्त्र-शस्त्र बनाने की क्षमता रखता है। सरकारी एजेंसी फारस न्यूज को उन्होंने बताया कि हम किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश हैं और हम अपनी सीमाओं की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए हमारे विशेषज्ञ अत्याधुनिक हथियार एवं उपकरण बनाने में 24 घंटे लगे हुए हैं।

इत्तेमाद (4 जून) के अनुसार मध्य पूर्व के चार देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए एक संयुक्त नौसैनिक बल बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन देशों में सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान शामिल हैं। इन प्रयासों के पीछे चीन का हाथ बताया जाता है। अगर यह योजना सफल हो जाती है, तो इससे अमेरिका के क्षेत्रीय वर्चस्व को भारी धक्का लगेगा। गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त नौसेना में भाग न लेने की घोषणा की है। इस अमेरिकी सेना का मुख्यालय बहरीन में है, जोकि 2001 में स्थापित किया गया था।

अरबी मीडिया के अनुसार इस संयुक्त नौसेना में बाद में कतर, बहरीन और इराक भी शामिल हो सकते हैं। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा है कि इस क्षेत्र के विभिन्न देशों ने यह महसूस किया है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मिल जुलकर काम करें।

RNI No. DELHIN/2017/72722

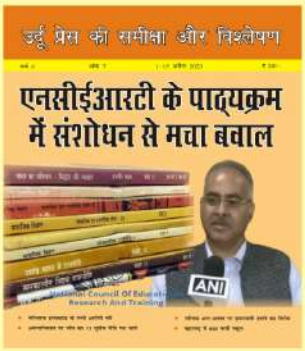

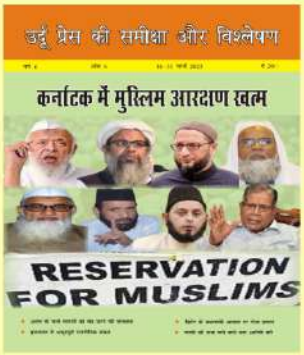

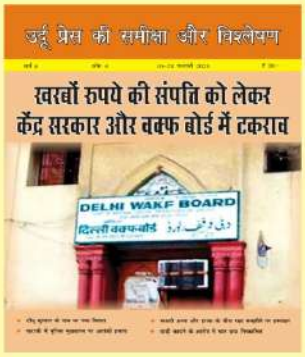

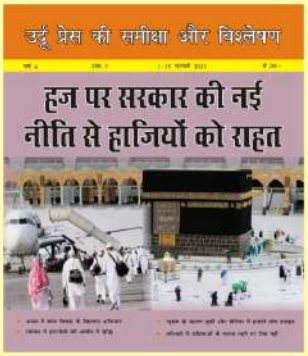

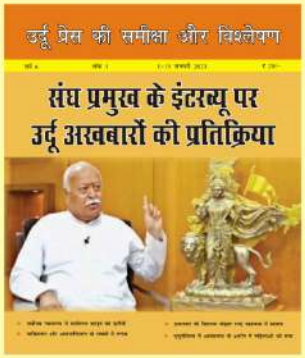

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in